

प्रारूप- 2
भाग-1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद चम्पावत में राज्य योजना के अन्तर्गत मंच-बकोड़ा मोटर मार्ग का निर्माण।																																												
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	1:50000 का मानचित्र, डिजिटल व गूगल मैप संलग्न है।																																												
ग) परियोजना की लागत।	रु० 420.00 लाख प्रथम चरण																																												
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	जनपद चम्पावत में राज्य योजना के अन्तर्गत मंच-बकोड़ा मोटर मार्ग का निर्माण।																																												
ड) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	संलग्न है।																																												
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	क्षेत्र में अस्थाई रूप से क्षेत्रवासियों को रोजगार मिलेगा एवं क्षेत्र में उपज का मूल्य बाजार दर पर मिलेगी तथा क्षेत्र में यातायात का लाभ मिलेगा।																																												
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	<table border="1"> <tr> <th>अ</th> <th>मोटर मार्ग निर्माण हेतु आरक्षित/वन पंचायत/सिविल/राज्य भूमि का विवरण :-</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>आरक्षित भूमि</td> <td>3.920</td> <td>हे०</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>वन पंचायत भूमि</td> <td>2.100</td> <td>हे०</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>सिविल/राज्यभूमि</td> <td>1.365</td> <td>हे०</td> </tr> <tr> <td></td> <td>कुल वन भूमि योग</td> <td>7.385</td> <td>हे०</td> </tr> <tr> <th>ब</th> <th>मोटर मार्ग के मलवा निस्तारण हेतु आरक्षित/वन पंचायत/सिविल/राज्य भूमि का विवरण :-</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>मलवा निस्तारण (आरक्षित)</td> <td>0.1613</td> <td>हे०</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>मलवा निस्तारण (सिविल भूमि)</td> <td>0.2485</td> <td>हे०</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>मलवा निस्तारण (वनपंचायत)</td> <td>0.126</td> <td>हे०</td> </tr> <tr> <td></td> <td>कुल</td> <td>0.5358</td> <td>हे०</td> </tr> <tr> <td></td> <td>कुल योग :</td> <td>7.9208</td> <td>हे०</td> </tr> </table>	अ	मोटर मार्ग निर्माण हेतु आरक्षित/वन पंचायत/सिविल/राज्य भूमि का विवरण :-			1.	आरक्षित भूमि	3.920	हे०	2.	वन पंचायत भूमि	2.100	हे०	3.	सिविल/राज्यभूमि	1.365	हे०		कुल वन भूमि योग	7.385	हे०	ब	मोटर मार्ग के मलवा निस्तारण हेतु आरक्षित/वन पंचायत/सिविल/राज्य भूमि का विवरण :-			1.	मलवा निस्तारण (आरक्षित)	0.1613	हे०	2.	मलवा निस्तारण (सिविल भूमि)	0.2485	हे०	2.	मलवा निस्तारण (वनपंचायत)	0.126	हे०		कुल	0.5358	हे०		कुल योग :	7.9208	हे०
अ	मोटर मार्ग निर्माण हेतु आरक्षित/वन पंचायत/सिविल/राज्य भूमि का विवरण :-																																												
1.	आरक्षित भूमि	3.920	हे०																																										
2.	वन पंचायत भूमि	2.100	हे०																																										
3.	सिविल/राज्यभूमि	1.365	हे०																																										
	कुल वन भूमि योग	7.385	हे०																																										
ब	मोटर मार्ग के मलवा निस्तारण हेतु आरक्षित/वन पंचायत/सिविल/राज्य भूमि का विवरण :-																																												
1.	मलवा निस्तारण (आरक्षित)	0.1613	हे०																																										
2.	मलवा निस्तारण (सिविल भूमि)	0.2485	हे०																																										
2.	मलवा निस्तारण (वनपंचायत)	0.126	हे०																																										
	कुल	0.5358	हे०																																										
	कुल योग :	7.9208	हे०																																										
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है																																													
क) परिवारों की संख्या	कोई नहीं (शून्य)																																												
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	कोई नहीं (शून्य)																																												
ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	कोई नहीं (शून्य)																																												
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)	नहीं																																												
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम संलग्न है। एवं पुनः वनीकरण की वचनबद्धता संलग्न है।																																												
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।	निर्देशानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।																																												

दिनांक.....

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

स्थान : चम्पावत

नाम

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
चम्पावत

अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
चम्पावत

मोहर

प्रस्ताव की कम संख्या.....

(प्राप्त की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा प्रमाणित)

प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
चम्पावत (उत्तराखण्ड)

प्रारूप-3
भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति	जनपद चम्पावत में राज्य योजना के अन्तर्गत मंच-बकोड़ा मोटर मार्ग का निर्माण।		
(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य		
(ii) जिला	चम्पावत।		
(iii) जिला वन प्रभाग	चम्पावत वनप्रभाग चम्पावत		
(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	अ	मोटर मार्ग निर्माण हेतु आरक्षित/वन पंचायत/सिविल/राज्य भूमि का विवरण :-	
	1.	आरक्षित भूमि	3.920 हे०
	2.	वन पंचायत भूमि	2.100 हे०
	3.	सिविल/राज्यभूमि	1.365 हे०
		कुल वन भूमि योग	7.385 हे०
	ब	मोटर मार्ग के मलवा निस्तारण हेतु आरक्षित/वन पंचायत/सिविल/राज्य भूमि का विवरण :-	
	1.	मलवा निस्तारण (आरक्षित)	0.1613 हे०
	2.	मलवा निस्तारण (सिविल भूमि)	0.2485 हे०
	2.	मलवा निस्तारण (वनपंचायत)	0.126 हे०
		कुल	0.5358 हे०
	कुल योग :	7.9208 हे०	
17. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिस्थिति:	आरक्षित, वनपंचायत, सिविल/राज्य भूमि		
18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:	बॉज, सुरई, काफल, बुरांश, देवदार, चीड़, साल		
(i) वन का प्रकार	अ	मोटर मार्ग निर्माण हेतु आरक्षित/वन पंचायत/सिविल/राज्य भूमि का विवरण :-	
	1.	आरक्षित भूमि	3.920 हे०
	2.	वन पंचायत भूमि	2.100 हे०
	3.	सिविल/राज्यभूमि	1.365 हे०
		कुल वन भूमि योग	7.385 हे०
	ब	मोटर मार्ग के मलवा निस्तारण हेतु आरक्षित/वन पंचायत/सिविल/राज्य भूमि का विवरण :-	
	1.	मलवा निस्तारण (आरक्षित)	0.1613 हे०
	2.	मलवा निस्तारण (सिविल भूमि)	0.2485 हे०
	2.	मलवा निस्तारण (वनपंचायत)	0.126 हे०
		कुल	0.5358 हे०
	कुल योग :	7.9208 हे०	

सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०

चम्पावत (उत्तराखण्ड)

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व	0.50
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	मोटर मार्ग के निर्माण में बॉज हरा— <i>Quercus leucotrichophora</i> , चीड़— <i>Pinus roxburghii</i> , सुरई— <i>Cupressus torulosa</i> , साल— <i>Shorea robusta</i> कुकाट(भेकुला/भेकल)— <i>Principia utilis</i> , बुरांश— <i>Rhododendron arboreum</i> , काफल— <i>Myrica esculenta</i> , अयार— <i>Lyonia ovalifolia</i> , देवदार— <i>Cedrus deodara</i> , (विस्तृत विवरण संलग्न है।)
(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	मोटर मार्ग का समरेखन जहाँ नाप भूमि से असंभव हो, वहीं वनभूमि में किया गया है।
19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू-वैज्ञानिक के अनुसार भू गर्भीय स्थिति गारनेटीफेनस, क्लोराइट सिस्ट एवं फिलाइट की चट्टाने विद्यान है। भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न है।
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :	अन्य वैकल्पिक भूति उपलब्ध न होने के कारण आरक्षित भूमि एवं राज्य भूमि में ही मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिससे यह वनभूमि के अन्तर्गत है।
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :	
(i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :	प्रस्तावित स्थल पर विशेष वन्य जीव प्रजाति नहीं पाई जाती है।
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव उत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)
(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)
(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)
22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)
23. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दें :	
(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के	मोटर मार्ग का निर्माण हेतु अन्य विकल्प नहीं है। प्रस्तावक विभाग

फोटो प्रति प्रमाणित

लिए अति न्यूनतम है।	द्वारा दर्शित भूमि न्यूनतम व अपरिहार्य है।
(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।	जहाँ संभव है, वहाँ निजी भूमि का चयन कर उपयोग किया जा रहा है।
24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :	
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)	नहीं
(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्बलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही	नहीं
(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)	नहीं
25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :	
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रारिथति।	सिविल भूमि हरतोला
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।	सिविल अवनत वन खसरा नं० हरतोला खसरा न०-1221, 776, 1731, 1732, 1733 मध्ये 15.84 हे०
(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य त्रन सीमाएं संलग्न है।	1:50000 का मानचित्र एवं डिजिटल मैप संलग्न है।
(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।	हाँ संलग्न है।
(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :	रु० 2265348.80
(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)	प्रमाण पत्र संलग्न है।
26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।	संलग्न है।
27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों	प्रस्ताव स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित अग्रसारित

फोटो प्रति प्रमाणित

स्थान:

तारीख:

नाम

मुद्रा

वम क्षेत्र अधिकारी
चम्पावत राक

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
चम्पावत (उत्तराखण्ड)

हस्ताक्षर
शासकीय

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

भाग- ।।।

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14-	स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	
15-	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	
16-	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	

हस्ताक्षर

नाम और पद नाम

तिथि :-

स्थान :-

सरकारी मोहर

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17-	टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)	
-----	---	--

तिथि :-

हस्ताक्षर :-

स्थान :-

नाम और पदनाम :

सरकारी मोहर

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

18-	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग-II भाग- III या भाग IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)	
-----	---	--

तिथि :-

हस्ताक्षर :-

स्थान :-

नाम और पदनाम :

स्थान :-

सरकारी मोहर